पत्र सं0-स0द0-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश/भारतीय खाद्य निगम/ 505/171807/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(सचलदल-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
लखनऊ :: दिनांक :: 12 मई, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि प्रान्त के बाहर से आयात किये जा रहें माल के व्यवधान रहित संचरण (Hassle Free Movement) तथा ऐसे माल के सम्बन्ध में हो रहे करापवंचन की रोकथाम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिपत्र सं0-1415060 दि0.28.07.2014 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। इस परिपत्र के बिन्दु-27 में सीमेण्ट के व्यापारियों की कठिनाई के दृष्टिगत रैक से आयात होने वाले सीमेण्ट के लिए व्यवस्था दी गई है। भारतीय खाद्य निगम टी0सी0-3V-विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह कठिनाई व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा भी रेलवे रैक से जो माल प्रान्त बाहर से आयात किया जाता है तथा प्रत्येक रैक की ढुलाई 300-350 ट्रकों द्वारा किये जाने के कारण प्रत्येक रेलवे रसीद के लिए ट्रकवार विवरण भरा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हैं।

उक्त के क्रम में परिपत्र सं0-1415060 दि0.28.07.14 के बिन्दु सं0-27 में दी गई व्यवस्था के अनुरुप भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश को भी रेलवे रैक से माल आयात हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था की जाती है:-

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रैक के माध्यम से जो माल आयात किया जाता हैं तथा ऐसे संकलित आयात के सम्बन्ध में ई-संचरण की व्यवस्था में अवधारित प्रक्रिया के अनुसार ''विशिष्ट संचरण नम्बर'' जेनरेट करते हुए प्रान्त में उसकी अगर डिलीवरी ले ली जाती है तब आयातकर्ता व्यापारी के इस प्रकार जेनरेटेड ''विशिष्ट संचरण नम्बर'' की सूचना उक्तानुसार ऑनलाइन जेनरेटेड फार्म-XXXVIII की हार्ड कॉपी सहित माल की प्रान्त में डिलीवरी लेने की घोषणा के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी तथा उस अधिक्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी को देनी होगी जिसके अधिक्षेत्र में ऐसे माल की डिलीवरी ली गई हैं। इसके पश्चात् आयातकर्ता व्यापारी प्रश्नगत माल का अपने चालान से अग्रेत्तर वर्तमान विद्यमान व्यवस्था के अनुरुप अन्य फार्म, यदि कोई आवश्यक हो तो, प्रयोग करते हुए परिवहन कर सकेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त प्रत्येक चालान पर संबंधित रैक से आयातित माल के लिए उक्तानुसार जेनरेटेड ''विशिष्ट संचरण नम्बर'' का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। रैक से आयातित समस्त माल के परिवहन के उपरान्त आयातक व्यापारी परिवहित माल के परिप्रेक्ष्य में जेनरेटेड ''विशिष्ट संचरण नम्बर'' के विरुद्ध प्रयुक्त चालानों/बिलों से परिवहित माल के परिमाण के विवरण ऑनलाइन ही अपलोड करेंगें।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

11/05/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0दि0उक्त

1. भारतीय खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/5/17
(प्रिन्स कुमार)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2
प्रभार ज्वाइण्ट कमिश्नर (स0द0), वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।